

### पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय पोड़ी KENDRIYA VIDYALAYA, PM SHRI Garhwal-**PAURI**

गढ़वाल—246001(उत्तराखण्ड)District—PAURI 246001 (Uttrakhand) वैबसाइट/Website -www.PAURI.kvs.ac.inईभेल/

" I BALINIA .....



### Canteen Tender

#### SCOPE OF WORK:

ठेकेदार को पी.एम. श्री केंद्रीय विद्यालय पौड़ी के लगभग 400 छात्रों और करीब 30 कर्मचारियों (यह आवासीय विद्यालय नहीं है व विद्यार्थी एवं कर्मचारी स्वेच्छा से कैंटीन का उपयोग करते हैं) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाय, कॉफी, और नाश्ते आदि की आपूर्ति करनी होगी (कोई फास्ट फूड की अनुमति नहीं है)। चाय, कॉफी, नाश्तों के समय का भोजन, लंच भी ठेकेदार द्वारा विद्यालय में समय-समय पर बैठकों या अन्य उद्देश्यों के लिए आपूर्ति किया जाएगा, जहां भी आवश्यक हो।

The Contractor is required to supply tea, coffee, and snacks etc (NO FAST FOOD ALLOWED) to fulfill the requirement of nearly 400 Students and around 30 employees (This is not a residential school and students and staff use the canteen voluntarily) of the PM SHRI Kendriya Vidyalaya PAURI. Tea, Coffee, Snacks, Breakfast, lunch also be supplied by the contractor for meetings or other purposes from time to time, wherever required in the Vidyalaya.

### **TERM & CONDITIONS OF CONTRACT**

### 1. प्रदान की जाने वाली सेवाएँ / SERVICES TO BE RENDERED

ठेकेदार को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पौड़ी के कर्मचारियों और छात्रों को ताजे और पोषक भोजन / नाश्ते / पेय पदार्थ (कोई फास्ट फूड की अनुमित नहीं हैं) तैयार करके सेवा प्रदान करनी होगी, और अन्य सेवाएँ जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पौड़ी द्वारा अनुमोदित हों।

The contractor shall prepare and serve fresh and wholesome meals / snacks / beverage (NO FAST FOOD ALLOWED) to the employees and students of the PM SHRI KV PAURI and such other as approved by the PM SHRI KV PAURI.

### 2. मेनू और गुणवत्ता / MENU AND QUALITY

ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले भोजन / नाश्ते निर्धारित प्रकार के होंगे और निर्धारित मात्राओं में होंगे, जिनकी कीमतें निश्चित होंगी।

The meals / snacks to be supplied by the contractor shall be of the type and in quantities with fixed prices.

# 3. कच्चे माल और तैयार उत्पादों की गुणवत्ता / QUALITY OF RAW MATERIALS AND FINISHED PRODUCTS

भोजन अच्छा, पोषक और सर्वोत्तम गुणवत्ता का होना चाहिए, जैसा कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पौड़ी द्वारा अनुमोदित हो। भोजन पकाने के लिए कच्चे माल और अन्य सामग्री का उपयोग करने से पहले, ठेकेदार को उनकी गुणवत्ता और पोषण सुनिश्चित करनी होगी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पौड़ी, अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, कच्चे माल, सामग्री, पकाने की व्यवस्था और तैयार खाने की वस्तुओं की जांच् करने का अधिकार रखेगा और यदि पकाई गई या कच्ची वस्तुएं, उनकी एकमात्र विवेकाधिकार पर, पोषण के मानक को पूरा नहीं करती हैं, तो उन्हें ठेकेदार के खर्चे पर नष्ट करने का पूर्ण अधिकार होगा। फास्ट फूड और खुले पदार्थों की अनुमित नहीं है।

The food shall be good, wholesome and of best quality as approved by the PM SHRI KV PAURI. Before using the raw materials and other ingredients for cooking, the contractor shall ensure their quality and wholesomeness. The PM SHRI KV PAURI through its authorized representatives, shall have the authority to carry out test checks at their convenience of the raw materials, ingredients, for cooking, cooking arrangements and the finished eatables and will have absolute right to have the cooked or raw items as do not meet, in his / their sole discretion, the standard of wholesomeness, destroyed at the cost of the Contractor. Fast food and open items are not allowed.

## 4. सेवा केंद्र और समय / SERVICE POINTS AND TIMINGS

ठेकेदार को कैटीन परिसर में सोमवार से शनिवार (द्वितीय शनिवार बंद) तक स्कूल के समय के दौरान और केवीएस की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर पूर्व में सूचित किए जाने वाले समय पर खानपान सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

The contractor shall be required to provide catering services in the canteen premises from Monday to Saturday (II Saturday Closed) during school hours and at timings as may be intimated in advance from time to time as per requirement े ०१ दार के दायित्व / CONTRACTOR'S OBLIGATION और परोसने के बर्तना आर कटलरा क उाचत रखरखाव के लिए जिम्मेदार ठेकेदार कैटीन परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर, खाना पकाने

पीएम श्री केवी पौड़ी की संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई ठेकेदार को अपने खर्चे पर करनी होगी। पीएम श्री केवी पौड़ी अपने अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों के माध्यम से कैंटीन, उपकरणों और भोजन की स्वास्थ्यकरता, स्वच्छता, गुणवत्ता और माना प्राप्तिक करते हैं है

और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के हर समय निःशुल्क निरीक्षण करने का अधिकार सुरिक्षित रखता है। ठेकेदार पूरे परिसर, बर्तनों, क्रॉकरी आदि को साफ-सुधरा और स्वच्छ रखेगा। वह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित डिटर्जेंट और अन्य आवश्यक वस्ताओं का नामी की कार्या के किया के कि वस्तुओं का उपयोग और व्यवस्था अपने खर्च पर करेगा। ठेकेदार कैंटीन परिसर या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग आवास के लिए नहीं करेगा या करने की अनुमित नहीं देगा और बिना वैध अनुमित के किसी भी बाहरी व्यक्ति को कैंटीन भवन में और उसके आसपास घूमने की

ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को अनुबंध या अनुबंध का कोई भाग उप-पट्टे पर नहीं देगा, ऐसी स्थिति में अनुबंध बिना कोई नोटिस दिए रद्द किया जा सकेगा तथा निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।

The Contractor shall be responsible for the proper upkeep and maintenance of the canteen premises, furniture and fixture, cooking and serving utensils and cutlery.

For any damage of property of the PM SHRI KV PAURI the contractor shall have to make good the same at his own

The PM SHRI KV PAURI reserves the right of free access through its authorized official / officers(s) to inspect the canteen, equipment and food for ensuring their wholesomeness, cleanliness, quality and quantity at all times without any prior notice.

The contractor shall keep the entire premises, utensils, crockery etc neat and hygienic. He shall use and provide at his own expenses prescribed detergents and other requisites for this purpose. The contractor shall not use or allow to be used the Canteen premises or any part thereof for dwelling purpose and shall not allow any outsiders to loiter in and around the canteen building without valid authority.

The contractor shall not sub-let the contract or part of contract to other contractor, in that cast, the contract is liable to be cancelled without giving any notice and performance security will be forfeited.

6. पीएम श्री केवी पौड़ी सहायता / PM SHRI KV PAURI ASSISTANCE

पीएम श्री केवी पौडी. कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से ठेकेदार को निम्नलिखित सविधाएं प्रदान करेगा।

- कैंटीन के लिए रु.2500/- (बिजली के रु.500 शामिल) प्रति माह के टोकन लाइसेंस शुल्क पर कैंटीन परिसर (कमरा) ।
- जिस फर्म द्वारा उच्चतम किराया प्रस्तावित किया जाएगा, चयन में उक्त फर्म को वरीयता प्रदान की जाएगी।

The PM SHRI KV PAURI shall provide following facilities to the contractor for the sole purpose of providing canteen services.

- i. Canteen premises (Room) on a token license fee of Rs.2500/- (Rs.500 electricity charges included) per month for Canteen.
- ii. The firm which offers the highest fare will be given preference in selection.

7. सरक्षा जमा (निष्पादन सुरक्षा) / SECURITY DEPOSIT (PERFORMANCE SECURITY)

सफल ठेकेदार को अनुबंध की अविध के दौरान केंटीन के लिए 10,000/- रुपये की राशि पीएम श्री केवी पौड़ी में प्रदर्शन सुरक्षा जमा के रूप में जमा करनी होगी।

An amount of Rs.10,000/- will be required to be deposited by the successful contractor with the PM SHRI KV PAURI, as performance security deposit, during currency of contract, for the canteen.

8. ठेकेदार का भुगतान / PAYMENT OF THE CONTRACTOR

ठेकेदार द्वारा की गई कोई भी उधार बिक्री, ठेकेदार के स्वयं के जोखिम और उत्तरदायित्व पर होगी और पीएम श्री केवी पौड़ी इन लेन-देनों में बकाया राशि की वसूली के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

हालाँकि, ठेकेदार समय-समय पर कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए दी गई वस्तुओं के बिल, संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित, उचित बिल में प्रस्तुत करेगा। यदि बिल प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो पीएम श्री केवी पौड़ी ऐसे बिलों का 21 दिनों के भीतर निपटान करेगा।

Credit sales, if any, affected by the contractor will be at his own risk and responsibility and that the PM SHRI KV PAURI will not in any way be responsible for the recovery of such arrears in these transactions.

However, the contractor will submit bills for items served for official purposes periodically in appropriate bill duly verified by the authorized officer concerned. The PM SHRI KV PAURI will settle such bills within 21 days if the bills meet all the requirements specified by the management.

अनुबंध की अवधि ठेकेदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः 01 (एक) वर्ष होगी तथा इसे 01 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। 9, अनुबंध की अवधि / PERIOD OF CONTRACT

The period of Contract shall be 01 (one) year in the first instance from the date of taking charge by the Contractor and may be extended for all and may be extended for the period of 01 year.

10. बोलीदाता कार्यालय / BIDDER OFFICE

अनुबंध एजेंसी/बोलीदाता का कार्यालय केवल प्राप्तकर्ता राज्य अर्थात उत्तराखंड में ही होना चाहिए।

The Contract agency / bidder must have office in the consignee State i.e. UTTARAKHAND only.

11. बोली का मूल्यांकन / EVALUATION OF BID

बोली का मूल्यांकन सभी मदों के योग के आधार पर किया जाएगा। सबसे कम बोली लगाने वाले को निविदा में उल्लिखित प्रत्येक मद के लिए अन्य फर्मों की सबसे कम बोली स्वीकार करने पर ही चुना जाएगा।

The evaluation of bid will be made on the basis of total of all items. The lowest bidder will be prepared provided he accepts the lowest quote of the other firms for each item mentioned in the tender.

### 12. अनिवार्य दस्तावेजों की सूची / LIST OF MANDATORY DOCUMENTS

- क) जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाणपत्र
- ख) एफ.एस.एस.ए.आई. पंजीकरण प्रमाणपत्र
- ग) एम.एस.ई. प्रमाणपत्र
- घ) पैन कार्ड
- ङ) आधार कार्ड
- a) GST Registration Certificate
- b) FSSAI Registration Certificate
- c) MSE Certificate
- d) PAN
- e) Aadhar Card

सदस्य / Members

1. Jan Jaz Juli 2. alarge lette of Strending
3. 314211611 2122 2000.

प्राचार्य / PRINCIPAL

केन्द्रीय विद्यालय